

28/8/25

पत्रावली पेश हुई वकील जार्जी उपस्थित।
विपक्षी के समान नोटिस शामिल होकर
प्राप्त हुए बावजूद शामिल के नोटिस उपस्थित
नहीं हुए हैं पत्रावली वस्तु आदिश में दिनांक
11.9.25 को पेश हो

[Signature]
28/08/25

11.9.25

पत्रावली पेश हुई/वकील समय पत्र एवं
गवाह श्री..... कार्य को रजिस्ट्रार
उपस्थित..... क्रिया-पत्रावली
.....
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 16/10/25
को पेश हो।

[Signature]

16/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपस्थित।
विपक्षी संख्या 1 को वकील जार्जी द्वारा
रजिस्टर्ड ड्राफ्ट से शामिल करवाई गई।
बावजूद शामिल के उपस्थित नहीं होने से
इसके निकट एक पक्षीय कार्यवाही का
अलिप्त किया जाता है। वकील जार्जी की
एक पक्षीय बहस को सुना गया।
वकील जार्जी ने बहस में कथन किया
गया कि मौजा आपसादरी पश्चिम मण्डल
भायेली बागलियाग के खंडा संख्या 222 में
वर्ष 18/2, 25-7/3, 64/2,
65/2, जिला असाजी 4 कुल रकबा 4.1200 है।
अभी जार्जी की पैतृक पुरानी की है जिसमें
जार्जी का 1/4 एक हिस्सा होने से जार्जी ने
खसिदारी दायता हेतु वाद पेश किया गया
है। एक अधिवक्ता की दायता मूल वाद में
एक होगा। पुरानी पत्र में वर्णित वादग्रस्त
असाजी की मौजा एवं राजस्वर कार्ड की
प्रतिलिपि हेतु बहस में कथन किया गया
है। पत्रावली का भव्यकरण कर परीक्षण किया
गया। परीक्षण उपरांत पाया गया कि जार्जी
का जार्जीना पत्र धारा 22 धार. शी. ए. का
स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः
न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तावित
अस्थायी सिधेघाता का रजिस्ट्रार आदेश
दिनांक 24.6.2025 को मूल वाद के
निर्णय हेतु एक कन्वर्न किया जाएगा
जिसमें सिधेघाता का रजिस्ट्रार सुनाया गया
पत्रावली केसल द्वारा एक नमूना
ले काम हो



उपस्थित अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

